न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
131/21	88, 89,90,188 RTA	बैंगनी	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रघुवीर	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :- श्री दिलीप सिंह एड0

वकील:-

आदेश पत्रक

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
22.09.2021	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर. टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.11.21 को पेश हो।	
11-11-21	पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य के लिए में रहने से पूर्ववत दिनांक 16-12-21 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
16/12-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व स्थान वादी उप० नहीं है वकील वादी व स्थान वादी को बीच बार आधार लगाकर कार्यवाही प्रकरण के पोषण उप० नहीं है अतः वादी का वाद अग्रिम हाजरी अग्रिम पेशी के लिये किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तकमील के साथ दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बारां	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner